बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक–...............................

सख्या :– 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 11/2025. –381 (illegible handwriting)...... श्रीमती ममता कुमारी, लिपिक, जिला पशुपालन कार्यालय, गयाजी के द्वारा डा॰ अनुरंजन कुमार गौतम, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, गयाजी के विरूद्ध मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने, अनैतिक संबंध बनाने एवं शादी करने का दबाव देने, उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करने एवं वरीय पदाधिकारी से मिलने पर वेतन बंद कर देने की धमकी देने के साथ–साथ सरकारी वाहन द्वारा पीछा करने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 296 नि॰गो॰, दिनांक 01.07.2025 द्वारा डा॰ गौतम को निलंबित किया गया।

उक्त निलंबनादेश के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 24 में वर्णित प्रावधान के तहत् डा॰ गौतम के द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक 06.08.2025 समर्पित किया गया। उक्त पुनर्विचार अभ्यावेदन में डा॰ गौतम के द्वारा अंकित किया गया है कि ''वे जिला पशुपालन पदाधिकारी, गयाजी के पद पर दिनांक 02.07.2024 को प्रभार ग्रहण किये थे। उस समय जिला पशुपालन कार्यालय, गयाजी की बुनियादी संरचना अत्यन्त खराब थी और कार्यालय की कार्य संस्कृति अच्छी नहीं थी। अधिकांश कर्मचारी निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करते थे एवं निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं आते थे। कार्यालय के प्रमुख होने के नाते सभी संबंधित कर्मचारियों को हमेशा समझाने की कोशिश की, समय सारणी का पालन करें जिससे कि बेहतर कार्य हो सके। इसी दौरान उन्होंने यह पाया कि श्रीमती ममता कुमारी, लिपिक हमेशा देर से कार्यालय आती है एवं दिये गये कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करती है। निर्देश देने के बावजूद श्रीमती ममता कुमारी समय पर कार्यालय नहीं आती है। अतएव विवश होकर उनके द्वारा श्रीमती ममता कुमारी, लिपिक को निर्देश दिया गया कि समय पर कार्यालय आयें एवं अपने कार्यों को ससमय पूर्ण करें अन्यथा अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। उक्त सख्त निर्देश के कारण श्रीमती ममता कुमारी द्वारा मुझपर मनगढ़ंत आरोप लगाने की कोशिश की गयी जो कि पूर्णतः निराधार है। डा॰ गौतम का कहना है कि सख्त निर्देश के कारण कुछ अन्य कर्मचारी भी उनसे नाराज थे, जिनके द्वारा भी ममता कुमारी को मेरे विरूद्ध झुठा आरोप लगाने के लिए उकसाया गया है'' ।

साथ ही उक्त पुनर्विचार अभ्यावेदन में डा॰ गौतम का कहना है कि दिनांक 16.06.2025 को क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, मगध क्षेत्र, गयाजी द्वारा उन्हें (डा॰ गौतम) कार्यालय कक्ष में बुलवाया गया। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने पाया कि कार्यालय में काफी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। उनके पहुँचते ही कर्मचारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और उन्होंने बिना किसी कारण मारपीट की स्थिति पैदा कर दी। कुछ कर्मचारियों द्वारा उन्हें धमकाया गया और विवश किया गया कि श्रीमती ममता कुमारी, लिपिक, जिला पशुपालन कार्यालय, गयाजी के द्वारा लगाये गये आरोप को स्वीकार कर लें। डा॰ गौतम का कहना है कि वहाँ की परिस्थिति देखकर वे बिल्कुल डर गये और जीवन रक्षा के कारण आरोपों को स्वीकार कर लिये। उनका कहना है कि अगर वे उक्त आरोपों को स्वीकार नहीं करते तो उनकी जान भी जा सकती थी। कुछ कर्मचारी द्वारा सारे प्रकरण का विडियोग्राफी कर ली गयी, जो सत्य से परे है एवं इस विडियोग्राफी की प्रमाणिकता की जाँच भी किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा नहीं की गयी है।

डा॰ गौतम के द्वारा समर्पित उक्त पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक 06.08.2025 की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत सरकार द्वारा डा॰ गौतम को कार्यहित में निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में डा॰ अनुरंजन कुमार गौतम, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, गयाजी को कार्यहित में निलंबन से मुक्त किया जाता है।

1. निलंबन से मुक्ति के पश्चात् डा॰ गौतम पदस्थापन की प्रतीक्षा में **पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना** में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
2. उक्त आरोप के लिए डा॰ गौतम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जायेगी।
3. डा॰ गौतम के निलंबन अवधि के वेतनादि भुगतान के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11 (5) में वर्णित प्रावधानों के तहत निर्णय लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

4/9/25

(स्मिता सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 11/2025– ..../ पटना–15, दिनांक–..............

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/9/25

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 11/2025– ..../ पटना–15, दिनांक–..............

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, गयाजी/सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/9/25

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 11/2025– 381 नि०गो०वि०........../ पटना–15, दिनांक–04.09.25

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, मगध क्षेत्र, गयाजी/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, कोसी क्षेत्र, सहरसा/जिला पशुपालन पदाधिकारी, गयाजी/सहरसा/डा॰ अनुरंजन कुमार गौतम, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, गयाजी सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में **पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना**/प्रशाखा पदाधिकारी–1/विभागीय आई॰टी॰ मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/9/25

सरकार के संयुक्त सचिव।